इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 153]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 जून 2025-ज्येष्ठ 28, शक 1947

### गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2025

क्र. एफ 175.— आपदा प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम, 2025 की धारा 20 के उपधारा (2) के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

#### संशोधन

1. मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नियम, 2016 के नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किए जावें, अर्थात्:—

आपदा प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम, 2025 की धारा 20 (2) के अंतर्गत राज्य कार्यपालिक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

मुख्य सचिव
पुलिस महानिदेशक
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (गृह विभाग)
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग)
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वित्त विभाग)
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वित्त विभाग)
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (वित्त विभाग)
अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)
सदस्य

#### विशेष आमंत्रित सदस्य

- 1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (ग्रामीण विकास विभाग)
- 2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (लोक निर्माण विभाग)
- 3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव (नगरीय विकास विभाग)
- 4. महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा
- 5. राज्य समन्वयक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- 6. अतिरिक्त महानिदेशक एस.डी.ई.आर.एफ.
- कार्यपालन संचालक, आपदा प्रबंध संस्थान सचिव (गृह) समिति के सचिव/समन्वयक होंगे.

F.No. 175.– In pursuance of sub-clause (2) of clause 20 of Disaster Management (Amendment) Act, 2025, the State Government of Madhya Pradesh hereby amends Madhya Pradesh State Disaster Management Authority Rule, 2016 namely:

#### **AMENDMENTS**

For rule (5) of Madhya Pradesh State Disaster Management Authority Rule, 2016, the following rule shall be substituted, namely:-

State Executive Committee shall be constituted under rule 20 (2) of Disaster Management (Amendment) Act, 2025; which shall consist of following members, namely:

1.	Chief Secretary	-	Chairperson
2.	Director General of Police	-	Member
3.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Home)	-	Member
4.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Finance)	-	Member
5.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Revenue)	-	Member
6.	Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Public Health and Family Welfare).	-	Member

#### Special Invitee Member:-

- 1. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Rural Development)
- 2. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Public Works Department)
- 3. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary (Urban Administration and Development)
- 4. Director General, Home guards and Civil Defence
- 5. State Coordinator MP State Disaster Management Authority
- 6. Addl. Director General SDERF
- 7. Executive Director, Disaster Management Institute

Secretary, Home shall be the Secretary/Co-ordinator of this Committee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कृष्णावेणी देशावतु, सचिव.